संख्याः—बी०एल०पी०—पंच—(१५वां वित्तायोग)—2020—21— 6 | री प कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला विलासपुर हि०प्र०।

सेवा में,

निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र० शिमला–०९

बिलासपुर—174001

दिनांक:- री नवम्बर,2023

विषय:-

15वां वित्तायोग के अन्तर्गत अनुपूरक शैल्फ अनुमोदित न होने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड श्री नैना देवी जी के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तावना प्राप्त हुई हैं कि 15वां वित्तायोग के अन्तर्गत ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्यों को संशोधित कर अनुपूरक शैल्फ अपलोड किया गय था जो कि पोर्टल पर अनुमोदित नहीं हो रहा हैं। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत हैं कि इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2020—21 में स्वीकृत कुछ विकास कार्यों की राशि सम्बन्धित जिला परिषद् सदस्य की मांग अनुसार पंचायत समिति श्री नैना देवी जी को जारी की गई थी जिसमें से तीन कार्य जो किसी कारवश मौके पर आरम्भ नहीं किए जा सकते थे को abandoned कर नए कार्यों का शैल्फ पोर्टल पर अपलोड किया गया था परन्तु जब इस शैल्फ को अन्तिम स्तर पर अनुमोदित कर रहे हैं तो निम्न सन्देश प्रादर्शित हो रहा हैं:—

"Plan is not as per the 120% rule. Your current plan is of 78423. The plan for scheme XV Finance Commission (Basic Grant (untied)) should be between -457832 and 0. Please modify your plan within the limit."

जक्त सन्देश अनुसार पंचायत समिति को प्लान बनाने हेतू आंबटित अनुदान राशि की सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी हैं जिस कारण अनुपूरक शैल्फ पोर्टल पर अनुमोदित नहीं हो पा रहा हैं जिस बारे प्रस्तावित अनुपूरक शैल्फ के कार्यों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपसे अनुरोध हैं कि पंचायत समिति श्री नैना देवी जी को उक्त प्लान के अनुमोदन हेतू लगभग मु0 3.00 लाख रू0 की राशि का पोर्टल पर बजट अनुदान आंबटित करवाने की कृपा करें। तािक प्लान को ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुमोदित किया जाना सम्भव हो सके व विकास कार्यों की रािश व्यय करवाई जा सके।

संलग्न:-यथाचर्चित

भवदीय.

जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर हि०प्र०। दिनांकः- २ े नवम्बर,2023

पृष्ठाकन संख्याः-यथोपरि- **४/२ ६** प्रतिलिपिः-

 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर हि०प्र० को सूचनार्थ।

2. श्रीमती पूजा रानी, मा० सदस्या, जिला परिषद वार्ड न० 14, कोटखास, त० श्री नैना देवी, जिला बिलासपुर हि०प्र० को सूचनार्थ।

> जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर हि०प्र०।